न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 10/2023 (अपील)

GCMS No. 2023/39

अनवान

1. श्री बंशीलाल मेघवाल पिता श्री मंगला मेघवाल निवासी मेघवाल बस्ती खेरवाडा जिला उदयपुर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. श्री गौतमलाल पिता चम्पू मेघवाल निवासी मेघवाल बस्ती, खेरवाडा उदयपुर।
2. श्री बाबूलाल पिता चम्पू मेघवाल निवासी मेघवाल बस्ती, खेरवाडा उदयपुर।
3. श्री नगीन पिता चम्पू मेघवाल निवासी मेघवाल बस्ती, खेरवाडा उदयपुर।।

– रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री आशीष दोवडिया, अपीलान्ट अधिवक्ता।
2. श्री लोकेश जी मेनारिया, अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1 से 3।

अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

अपील विरूद्ध तहसीलदार खेरवाडा के प्र.स. 1/22 आदेश दिनांक 19.04.2023

*** निर्णय ***

दिनांक– 29-08-2024

अपीलाण्ट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, स्थायी प्रार्थना पत्र मय धारा 5 अवधि अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट की कृषि भूमि मौजा महुदरा पटवार हल्का बायडी तहसील खेरवाडा में आराजी नम्बर 1163 रकबा 0.0300 है. खाते दर्ज है। उक्त कृषि भूमि रानी रोड पर स्थित है। उक्त कृषि भूमि रोड के मध्य से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है जिस पर रेस्पोडेन्ट द्वारा दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन इण्डियन रोड कांग्रेस(आई.आर.सी) के प्रावधानों के तहत सडक के मध्य बिन्दू से राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग से 45 मीटर बिल्डिंग लाईन छोडकर निर्माण कराया जा सकता है, लेकिन रेस्पोडेन्ट ने नियमों के विपरीत कृषि भूमि पर वाणिज्यिक निर्माण कर लिया है और भूमि की प्रकृति कृषि भूमि की है। निर्माण कराये जाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इसी आशय का एक प्रार्थना पत्र अपीलाण्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी खेरवाडा को दिनांक 22.07.2020 को दिया, जिस पर अपीलाण्ट को उक्त प्रार्थना पत्र दस्ती देकर श्रीमान तहसीलदार साहब, खेरवाडा को निर्देश दिये कि चेक एण्ड टेक एक्शन उक्त निर्देश

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

पर तहसीलदार साहब खेरवाडा ने पटवारी हल्का से जांच करा सडक सीमा से खातेदारी भूमि में निर्माण हो रहा है तो धारा 90ए सपठित धारा 91 में तत्काल कार्यवाही कर जाकर निर्माण हटाया जावे, का निर्देश पटवारी को दिया, जिस पर अधीनस्थ नायब तहसीलदार खेरवाडा ने दिनांक 22.09.2020 को पटवारी हल्का बायडी बनाम गौतम नगीन व बाबू के विरूद्ध प्रकरण संख्या 281/20 दर्ज कर 28.09.2020 को रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया। रेस्पोडेन्ट अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर नोटिस का जवाब दिया और पत्रावली दिनांक 01.10.2020 को बहस के लिए नियत की गई। दिनांक 01.10.2020 को रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता उपस्थित हुए और अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खेरवाडा ने पटवारी हल्का बायडी की रिपोर्ट के आधार पर उक्त वर्णित आराजीयात पर बिना संपरिवर्तन के किये जा रहे पक्के निर्माण को हटाये जोने का आदेश दिया और पत्रावली को फैसल कर दिया गया। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, खेरवाडा द्वारा आदेश देने के बाद रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सि.प्र.सं. का दिनांक 06.10.2020 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रकरण में रेस्पो. को सुनवाई हेतु समुचित अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है वह अनुचित है और यह भी अंकित किया कि " प्रार्थीगण ने अपने जवाब में स्पष्ट कथन किया था कि मामले में वर्णित आराजी 1163 के प्रार्थीगण संयुक्त स्वामी है। उक्त भूमि पर कृषि प्रयोजनार्थ ही निर्माण कर उपयोग–उपभोग में ले रहे है। विधि अनुसार धारा 5 आर.टी.एक्ट 1955 नया संशोधन परिपत्र 22.06.1978 अनुसार कृषक स्वंय की खातेदारी भूमि पर बिना किसी स्वीकृति के कृषि कार्य हेतु स्वतन्त्र है एवं स्पष्ट परिपत्र में लिखा गया है कि संशोधित परिभाषा के अनुसार कार्य किया गया है एवं प्रार्थीगण ने धारा 90ए एल.आर.एक्ट का उल्लंघन नहीं किया गया है और अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदारों के बयान भी दर्ज नहीं किये हैं और प्रार्थीगण उक्त भूमि पर कृषि कार्य से सम्बन्धित मुर्गी पालन, दुग्ध उपयोग व नर्सरी का कार्य उक्त आराजी पर संचालित किया जावेगा, जो कि कृषि कार्य की श्रेणी में आता है और मौके की विधिसम्मत जांच करा कर साक्ष्य के आधार पर निर्णय करने का अवसर प्रदान किये जाने का निवेदन किया और प्रकरण संख्या 424/20 अनवान गौतम नगीन बाबू/पटवारी बायडी का प्रकरण दिनांक 06.10.2020 का दर्ज किया गया, जिसकी आगामी तारीख 14.10.2020 नियत की गई। दिनांक 27.10.2020 को पटवारी एवं आर.आई. की रिपोर्ट आने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि प्रार्थीगण द्वारा निर्माण किया जाकर लोहे के टिनशेड डाले गये है अतः इनका इरादा कृषि कार्य हेतु प्रकट होता है, अतः इनका प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण संख्या 281/20 निर्णय दिनांक 01.10.2020 को अपास्त किया जाकर प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध 90ए एवं सपठित धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 की गई कार्यवाही निरस्त की जाकर फैसला खुले अदालत में सुनाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार हो। उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर के यहां पर बंशीलाल बनाम गौतम लाल के प्र.स. 2/21 अपील पेश की गयी जिस पर रेस्पोडेन्ट्स द्वारा उक्त प्रकरण में अपनी उपस्थिति देकर मामले की विधिवत सनवाइ हुई जिसका दिनांक 19.02.2021 को निर्णय

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

किया गया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः मामले की सुनवाई की गई। अधीनस्थ न्यायालय खेरवाडा के प्र.स. 1/21 में पारित निर्णय दिनांक 20.09.2021 को अपास्त करते हुए पुनः सुनवाई कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने का आदेशित किया गया। माननीय आप न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.02.2022 में पुनः प्रकरण संख्या 1/22 दर्ज किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय ने भू.अ.नि. बडला को विस्तृत मौका रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी नकल आदि बाद जांच दिनांक 18.08.2022 को विस्तृत जांच रिपोर्ट में बताया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा दुकानों का निर्माण किया गया है, जिस पर पुनः प्रकरण की सुनवाई की गयी रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में बराबर उपस्थिति देकर अपना पक्ष रखा गया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 19.04.2023 के निर्णय में पत्रावली का गहन अध्ययन कर निर्णय पारित किया कि प्रकरणाधीन टिनशेड निर्माण को हटाने से अप्रार्थीगण का रोजगार प्रभावित होने के साथ–साथ किसी प्रकार की मुआवजा से भी वंचित हो जावेगे। जो उचित नहीं है, इस प्रकार रेस्पोडेन्ट के टिन शेड निर्माण को तत्काल हटाने/बेदखल करने में राहत दी जा सकती है के साथ निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया प्रकरण फैसल शुमार हो पर दाखिल दफ्तर हो से व्यथित होकर अपीलाण्ट निम्न आधारों पर अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.04.2023 में किसी प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रार्थना पत्र को न तो स्वीकार किया है न खारिज किया है, सिर्फ यह कहकर निर्णय किया है कि " प्रकरणाधीन टिनशेड निर्माण को हटाने से अप्रार्थीगण का रोजगार प्रभावित होने के साथ साथ किसी प्रकार की मुआवजा राशि से भी वंचित हो जावेंगे जो उचित नहीं है, इस प्रकार रेस्पोडेन्ट के टिन शेड निर्माण को तत्काल हटाने/बेदखल करने में राहत दी जा सकती है के साथ निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया प्रकरण फैसल शुमार हो" जो कतई विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कहीं भी स्पष्टता से यह नहीं दर्शाया है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण किस तरह से फैसल किया गया है, जो एक विधिक त्रृटि है। अधीनस्थ न्यायालय में भू. अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण पूर्णतया साबित है कि रेस्पोडेन्ट ने कृषि भूमि पर बिना संपरिवर्तन कराये दुकानों का निर्माण कर व्यापार शुरू कर दिया है जो संपरिवर्तन नियमों के विरूद्ध है, बावजूद इसके भी अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय में अपनी राय लेकर निर्णय किया है जो विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त किये जोने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 01.10.2020 विधिसम्मत निर्णय पारित किया था। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील एवं रिव्यू करने के प्रावधान है लेकिन निर्णय के विरूद्ध नियमों के विपरीत जाकर धारा 151 सि.प्र.स. के प्रार्थना पत्र के आधार पर उक्त निर्णय को चुनौती देकर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने मे भारी त्रृटि कारित की है । आप न्यायालय में उक्त प्रकरण पूर्व में दो बार सुनवाई हेतु आ चुका है, दिनांक 28.02.2022 को रिमाण्ड किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करनी पडी। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक प्रकिया अपनाये अपने ही निर्णय को अपने ही द्वारा निरस्त कर, बिना किसी ठोस आधार के बदल दिये जाने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रृटिपूर्ण होने से काबिल निरस्त के है। राजस्व अधिकारी द्वारा जो रिपोर्ट पेश की है उनमे कहीं भी कृषि भूमि से सम्बन्धित व्यापार किया जाना अंकित नहीं है और न ही दुकानें खुली हालत में मिली है। दुकानों के शटर्स बन्द मिले है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रिपोर्ट को नजरअन्दाज कर रेस्पोडेन्ट्स के इरादे को कृषि कार्य हेतु प्रकट होने का अपने मनमर्जी के निर्णय के आधार पर निर्णय पारित किया है जो कि कतई न्यायोचित नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है। न्यायालय ने उक्त निर्माण की संरचना को जो देखने से ही व्यवसायिक लगती है, को कृषि भूमि से सम्बन्धित व्यवसाय स्थल मानकर उक्त निर्माण को एक तरह से अपने निर्णय के अनुसार वैधानिकता प्रदान की है जिससे कानून एवं नियमों का घोर उल्लंघन हुआ है ऐसे में एक जिम्मेदारी अधिकारी द्वारा इस तरह के निर्णय पारित किया जाना संदेह तो उत्पन्न करता ही है साथ ही उनकी कार्यशैली भी संदेहास्पद प्रकट होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने अपने पद, अधिकारों एवं कानून का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन कर रेस्पोडेन्ट को शह देने के उद्देश्य से उक्त निर्णय पारित किया है जो कतई स्वीकार योग्य नहीं होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने मुख्य सडक किनारे किए जा रहे कृषि भूमि पर वाणिज्यिक गतिविधियों को संरक्षण देकर उन्हें उक्त भूमि की किस्म परिवर्तित नहीं कराने एवं राजकोष को हानि पहुंचाने के उद्वेश्य से उक्त निर्णय पारित करने में विधिक चूक कारित की है। उक्त निर्णय के आधार पर अन्य लोगो को भी संपरिवर्तन नियमों को तोडने का अधिकार प्राप्त हो जायेगा। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है। जानकारी में आते ही दिनांक 30.06.2023 को अधिवक्ता से सम्पर्क कर प्रतिलिपि प्राप्त कर अविलम्ब अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.04.2023 को निरस्त किया जाकर मौके पर आराजी नम्बर 1163 रकबा 0.03 है. पर किऐ जा रहे अवैध पक्के निर्माण को ध्वस्त किए जाने का आदेश पारित फरमाया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। प्रकरण मे प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब की गई। प्रकरण मे उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस प्रारम्भ करते हुए अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराया एवं निवेदन किया कि प्रकरण में वर्णित भूमि कृषि भूमि है। पहले दो अपील तहसीलदार के खिलाफ हुई है। निर्धारित भूमि छोडकर बिना संपरिवर्तन कराये वाणिज्यिक निर्माण करा लिया है। भू.अ. की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण दर्ज हुआ है। अतिकमण हटाने के आदेश हो चुके है। मौके पर दुकाने बनी हुई है। पूर्व में हटाने का आदेश हो चुका है। नियम विरूद्ध धारा 151 का प्रार्थना पत्र लगाकर निर्णय की पालना रोकी गधिई है। न्यायालय हाजा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

के निर्णय अनुसार प्रकरण रिमाण्ड किया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नहीं कर केवल राहत दी जा सकती है इस आशय का अस्पष्ट ऑडर जारी किया है। अतः अपील स्वीकार कर नियम विरूद्ध किये गये निर्माण को हटाया जावे। विद्वान अधवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस मे निवेदन किया कि अपील 30 दिवस में पेश करनी चाहिए जो 3 माह बाद पेश की गई है। सभी दुकानों पर छत नहीं होकर टीनशेड डाल रखे हे। कृषि सम्बन्धित कार्य हो रहा है। मेरी भूमि के पिछे इनकी भूमि होने से यह मेरा निर्माण हटवाकर रोड पर आना चाहते है इसलिए अपीलाण्ट बार–बार परेशान कर रहे है। कोई व्यावसायिक गतिविधिया नहीं है। मेरी खातेदारी भूमि है मैं कृषि कार्य के लिए उसका उपयोग कर रहा हूं। कोई अनाधिकृत निर्माण नहीं है। 3 बार न्यायालय में आना पडा है। अपीलाण्ट को शुरू से ही आदेश का ज्ञान होते हुए भी विलम्ब से परेशान करने के लिए अपील पेश की है। अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अध्ययन किया। अपीलाण्ट द्वारा अपील मय धारा 5 अवधि अधिनियम के तहत पेश की गई है। अपीलाण्ट्स द्वारा नकल प्राप्त करने पर जानकारी मे आना बताया है। जानकारी में आते ही अपील प्रस्तुत की गई जो जो अन्दर मयाद प्रतीत होती है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया जाता है।

मूल प्रकरण के अवलोकन से रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध तहसीलदार खेरवाडा द्वारा प्र. स. 281/20 सरकार बनाम नगीन व अन्य में निर्णय दिनांक 01.10.2020 पारित कर रेस्पोडेन्ट की खातेदारी में बनी दुकाने हटाने का आदेश पारित किया। रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 06.10.2020 को प्रार्थना पत्र धारा 151 पेश करने पर प्रकरण 424/2020 दर्ज कर निर्णय दिनांक 01.10.2020 को अपास्त किया गया। इसके विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा एक अपील संख्या 2/2021 प्रस्तुत किया जो आंशिक स्वीकार कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णय की पालना में प्र.स. 1/2021 दर्ज कर दिनांक 20.09.2021 को निर्णय पारित कर अस्थाई निर्माण को 15 दिवस में हटाने का आदेश पारित कर दिया। पीठासीन अधिकारी के स्थानान्तरण होने के बाद निर्णय पारित करने से निर्णय के विरूद्व अपील न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो प्र.स. 12/21 में निर्णय दिनांक 28.02.2022 पारित कर पुनः प्रकरण को पुनः सुनवाई कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। निर्णय की पालना में तहसीलदार खेरवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 1/2022 सरकार बनाम नगीन व अन्य दर्ज किया जाकर दिनांक 19.04.2023 पारित किया गया। उक्त निर्णय अस्पष्ट होने से इस निर्णय के विरूद्व अपीलाण्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की है। हमने निर्णय दिनांक 19.04.2023 का अवलोकन किया। निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई स्पष्ट निर्णय/आदेश पारित नहीं किया है, एवं किस आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया गया है यह भी स्पष्ट नहीं है जिससे प्रकरण में पक्षकारान के मध्य भी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही है। न्यायालय को चाहिए कि वह पक्षकारो को सुनकर स्पष्ट रूप से नतीजे पर पंहुचकर निर्णय पारित करे। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से " इस प्रकार प्रकरण के गहन अध्ययन करने, भू.अभि.नि. बडला की मौका रिपोर्ट एवं अप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार यह सही है कि अप्रार्थीगण का अपनी खातेदारी भूमि ग्राम महुदरा की आराजी नम्बर 1163 रकबा 0.03 है. में मौके पर जो टीनशेड का निर्माण किया गया है उसमें कोई व्यवसायिक गतिविधियां नहीं होकर, केवल कृषि कार्य जैसे नर्सरी, दुध डेयरी, मुर्गीपालन पशुआहार भण्डारण आदि के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही यह भी सही है कि उक्त टीनशेड निर्माण आई.आर.सी. नियमान्तर्गत निर्धारित सीमा के बाहर नहीं है, किन्तु उक्त निर्माण ऐसा भी नहीं है, जिसे आवश्यकता होने पर हटाया नहीं जा सके। चूंकि समानान्तर अन्य निर्माण भी है जिन्हें सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा चाहे जाने पर सम्पूर्ण रूप से हटाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त प्रकरणाधीन निर्माण से मौके पर वर्तमान में सार्वजनिक रूप से किसी भी प्रकार की बाधा भी उत्पन्न नहीं हो रही है। प्रकरणाधीन टीनशेड निर्माण को हटाने से अप्रार्थीगण का रोजगार भी प्रभावित होने के साथ ही किसी भी प्रकार के मुआवजा से भी वंचित हो जायेगा जो उचित नहीं है। इस प्रकार मैं समझता हूं। कि प्रार्थीगण के टीनशेड निर्माण को तत्काल हटाने/बेदखल करने में राहत दी जा सकती है।" अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में यह कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि खातेदार के निर्माण को सही ठहराया गया है अथवा गलत होकर हटाये जाने का आदेश पारित किया गया है। जबकि अपीलाण्ट द्वारा अपील के माध्यम से कृषि भूमि पर बिना संपरितवर्तन के व्यावसायिक निर्माण करने पर उसे हटाने हेतु दाद चाही गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रृटिपूर्ण होने से अपास्त किया जाने योग्य हैं। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पायी जाती हैं।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 का आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार खेरवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 2/2022 अनवान सरकार बनाम नगीन बाबू गौतम में निर्णय दिनांक 19.04.2023 को अपास्त किया जाकर पत्रावली इस आश्य के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभय पक्षकारान को सुनकर खातेदारों के हितो को ध्यान में रखते हुए अपीलाण्ट के उजर ऐतराज को मध्येनजर रखकर मेरीट पर नये सिरे से निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय निर्णय की प्रति के साथ लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (शहर)